कलेश्वर गर्ग
जिलाध्यक्ष

चुनाव चिन्ह : झाड़ू

आम आदमी पार्टी
मुंगेली

क्रमांक: AAP-MUN/2026/ दिनांक-25/06/2

प्रति,

1. माननीय जिला कलेक्टर महोदय
   मुंगेली, जिला – मुंगेली (छ.ग.)
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महोदय
   मुंगेली, जिला – मुंगेली (छ.ग.)

विषय:- न्यायालय के आदेश के बावजूद राजस्व निरीक्षक (RI) द्वारा कब्जा दिलाने में टालमटोल करने, माननीय न्यायालय की अवमानना और पीड़ित किसान को 3 वर्षों से मानसिक-आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने वाले अधिकारियों पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं तत्काल भूमि का वास्तविक कब्जा दिलाने विषयक।

संदर्भ :- न्यायालय नायब तहसीलदार मुंगेली-2 (क्षेत्र-सेतगंगा) का आदेश क्रमांक 381/ना.तह./वा./2026 एवं 383/ना.तह./वा./2026

महोदय,

आम आदमी पार्टी, मुंगेली इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान मुंगेली जिले के सेतगंगा क्षेत्र (ग्राम छुईहा) में प्रशासनिक क्रूरता और सोची-समझी टालमटोल के कारण डिप्रेशन की कगार पर पहुँच चुके एक अन्नदाता की बेबसी की ओर आकर्षित करना चाहती है। राज्य सरकार के सुशासन के दावों के विपरीत मुंगेली का राजस्व अमला पूरी तरह बेलगाम और असंवेदनशील हो चुका है।

पूरा मामला निम्नानुसार है:-

1. न्यायालय का कड़ा आदेश - ग्राम छुईहा निवासी पीड़ित किसान रामकुमार (पिता खेलावन) एवं उनकी वृद्ध माता फूलबाई (पति स्व. खेलावन) के पक्ष में न्यायालय नायब तहसीलदार मुंगेली-2 द्वारा स्पष्ट आदेश (क्रमांक 381/ना.तह./वा./2026, 383/ना.तह./वा./2026) जारी किया गया था। इस आदेश में राजस्व निरीक्षक (RI) संजय श्रीवास्तव, संबंधित पटवारी और माल जमादार को थाना प्रभारी फास्टरपुर से पर्याप्त पुलिस बल लेकर मौके पर जाने और पीड़ित को उसकी पुश्तैनी जमीन का वास्तविक कब्जा दिलाने का कड़ा अल्टीमेटम दिया गया था।

2. ऐन वक्त पर आरआई का बहाना (रायपुर का चक्रव्यूह) विधिक प्रक्रिया के तहत नोटिस तामील होने के बाद, तय तारीख पर फास्टरपुर पुलिस बल कार्रवाई के लिए तैयार खड़ा रहा। पीड़ित किसान भी अपनी जमीन पर हक पाने की आस में बैठा था। परंतु, ठीक मौके पर राजस्व निरीक्षक (RI) संजय श्रीवास्तव ने रायपुर की वीआईपी ड्यूटी/शासकीय कार्य का हवाला देकर कार्रवाई से हाथ खींच लिए और पीड़ित से बेहद गैर-जिम्मेदाराना लहजे में कहा कि अपनी व्यवस्था देख लो।

3. 3 वर्षों से अंतहीन प्रताड़ना पीड़ित किसान पिछले 3 सालों से केवल तारीखों और खोखले आश्वासनों का शिकार हो रहा है। लगातार तहसील और कचहरी के चक्कर काटने, वकीलों की फीस देने और कागजी कार्रवाई के कारण किसान पूरी तरह आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका है और कर्ज के दलदल में धंस गया है। अपनी ही जमीन होते हुए भी खेती न कर पाने के कारण वह गहरे मानसिक अवसाद (Depression) में है।

पता लछनपुर पो. पंडरभट्ठा तह. व जिला मुगेली 495334 छ.ग.
Email kaleshwargarg@01gmail.com
Mo- 7000890600

चुनाव चिन्ह : झाड़ू

आम आदमी पार्टी

मुंगेली

कलेश्वर गर्ग
जिलाध्यक्ष

यह घटनाक्रम सीधे तौर पर माननीय न्यायालय की अवमानना, प्रशासनिक तानाशाही और विपक्षी रसूखदारों/भू–माफियाओं को परोक्ष रूप से लाभ पहुँचाने की मंशा को दर्शाता है। यदि न्यायालय के आदेश पर भी ऐन वक्त पर वीआईपी ड्यूटी का पर्दा डालकर न्याय का गला घोंटा जाएगा, तो आम जनता का कानून और प्रशासनिक व्यवस्था से भरोसा पूरी तरह उठ जाएगा।

हमारी माँगें :-

तत्काल कब्जा पीड़ित किसान रामकुमार और उसकी माता को पुलिस बल की उपस्थिति में बिना किसी देरी के उनकी भूमि पर वास्तविक कब्जा दिलाया जाए।

दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही ऐन वक्त पर कार्यवाही रोकने और न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने वाले राजस्व निरीक्षक (RI) संजय श्रीवास्तव एवं संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कड़ी अनुशासनात्मक व दंडात्मक कार्यवाही की जाए।

मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति 3 वर्षों से प्रताड़ित किए जा रहे अन्नदाता को हुए आर्थिक नुकसान का आकलन कर राहत प्रदान की जाए।

यदि जिला प्रशासन इस गंभीर और संवेदनशील मामले में तत्काल संज्ञान लेकर (03) तीन कार्य दिवसों के भीतर पीड़ित को न्याय नहीं दिलाता है, तो आम आदमी पार्टी, मुंगेली किसान के हक में उग्र आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

सहानुभूतिपूर्वक एवं त्वरित न्याय की आशा में।

भवदीय
08/06/26
(कलेश्वर गर्ग)
जिला अध्यक्ष
आम आदमी पार्टी मुंगेली

कलेश्वर गर्ग
जिलाध्यक्ष
आम आदमी पार्टी मुंगेली

संलग्न :-

1. न्यायालय नायब तहसीलदार मुंगेली–2 का आदेश पत्र (क्रमांक 381, 383ध्ना.तह.ध्वा.ध2026)।
2. फास्टरपुर थाने को जारी पुलिस बल संबंधी पत्राचार की प्रति।

पता लछनपुर पो. पंडरभट्ठा तह. व जिला मुंगेली 495334 छ.ग.
Email kaleshwargarg@01gmail.com
Mo- 7000890600